

FIRE SAFETY CERTIFICATE



No.LSG/SURATGARH/FIRENOC/2022-23/16423

Dated: 14-03-2023

Certified that the Ch. Mota ram Meel Mem. Sr.sec. Pub. School (name of the building or premises) at 5 NRD (Nirwana, Suratgarh SGNR comprised of basement(s) and (upper floors) owned/ occupied by Ch. Mota Ram Meel Mem. Sr.sec. Pub. School (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service of Chairman Ch. Jaimal Ram Meel (Ch. Mota ram Meel Mem. Sr.sec. Pub. presence School) (name and addresses of the Chairman Secretary or his representative) and that the classes Nur. to XII With effect from occupancy upto fit for buildina/ premises 14-03-2023 for a period of one year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

Issued on 14-03-2023 at Suratgarh by *Strike out whichever is not applicable.

Executive Officer

Municipal Board Suratgarh

To

Ch. Motaram Meel Mem. Sr.sec. Pub. School 5 NRD (Nirwana, Suratgarh SGNR

ENDORSEMENT

The No	Objection	Certificate	issued	by	Fire	Service	stand	cancelled	an	annulled	due	to
(reas	ons to be re	ecorded).										

(Name and designation of the authorized signatory)

^{*} The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

नगर पालिका,



(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम २००१ की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.ः

LSG/SURATGARH/FIRENOC/2022-23/16423

जारी दिनांकः

14-MAR-2023

पेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः

JAIMALRAM MEEL

आवेदक का पताः

5 NRD NIRWANA SURATGARH SGNR

विषयः- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन CHMOTARAMMEELMEMORIALSENIORSECONDRYPUBICSCHOOL, 94/311, 5 NRD, 5 NRD NIRWANA, SURATGARH, SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः-

- 1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि रो एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- 3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- 4. जिरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- 5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य
- 6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- 7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- 8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- 9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- 10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- 11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- 12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- 13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी नगर पालिका, सूरतगढ

Signature yalid

Digitally signed by Vija Pratap Singh Rathore Designation DC/EC/Commissioner Date: 2023.03.14 2:30:22 IST

Reason: Approved

